कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

बिहार सरकार

कृषि भवन , मीठापुर, पटना - 800001

ई-मेल–diragri-bih@nic.in वेबसाइट –state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स– 0621-2215895

पत्रांक- मो० –77 / 2025(खण्ड–I) 2354 **दिनांक -** 16-मई, 2025

प्रेषक,

नितिन कुमार सिंह, *भा०प्र०से०,*
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल, नालन्दा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, नवादा, मधेपुरा एवं बेगूसराय।
जिला कृषि पदाधिकारी,
सुपौल, नालन्दा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, नवादा, मधेपुरा एवं बेगूसराय।

विषय : **रबी / गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल, 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात के कारण 33% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि **रबी / गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल, 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति** के कारण प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखण्डों के प्रतिवेदित पंचायतों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहायय् / प्रभारी पदाधिकारी, साहायय् को नामित करते हुए उनका ई–मेल तथा मोबाईल नं0 उपलब्ध कराये ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/5

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 / कृ0, पटना, दिनांक 16/05/ 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) / नामित वरीय प्रमंडलीय नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 /कृ0, पटना, दिनांक 16/05/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2354 /कृ0, पटना, दिनांक 16/05/ 2025

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(वर्ष 2024–25 रबी/गरमा मौसम)
क्रियान्वयन अनुदेश

रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात के कारण 33% से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में अन्तरण।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसलों की क्षति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों/पंचायतों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8500 रूपये प्रति हेक्टेयर।

b) सिंचित क्षेत्र के लिए 17000 रूपये प्रति हेक्टेयर।

c) शास्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए 22500 रू० प्रति हेक्टेयर।

1.3 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। किसी भी प्रभावित किसान को इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम रकबा होने पर भी असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपया, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रूपये एवं शास्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए न्यूनतम 2500 रूपया अनुदान देय है।

1.4 यह योजना सिर्फ किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार का अर्थ है:– पति+पत्नी+अवयस्क बच्चे। परिवार के किसी एक सदस्य को ही कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देय होगा। पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क पुत्र/पुत्री को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग–अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया हो।

2. अनुदेश :

2.1 इस योजना का लाभ प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के प्रतिवेदित पंचायत के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2.2 **वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसान हैं, वे सीधे ''रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना–2025'' https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।**

2.3 अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** होगा।

2.4 **अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।**

<u>ऑनलाईन आवेदन की सुविधा</u> :

- किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **कृषि इनपुट अनुदान** हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र है–
  - किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से कर सकते है– निःशुल्क।
  - प्रखंड स्थित ई– किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
  - कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर करा सकते हैं।
  - अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।

3. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

3.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार के पेज पर 'ऑनलाईन आवेदन करें' मेनू को क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन में प्रदर्शित मेनू "रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना–2025"पर क्लिक करेंगे।**

3.2 **"रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना"** अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** होगा।

3.3 **"रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना"** हेतु आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे। यह योजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुमान्य होगा।

3.4 **किसान को तीन श्रेणियों** (स्वयं भूधारी, वास्तविक खेतिहर, स्वयं भूधारी + वास्तविक खेतिहर) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। **एक खेत के लिए एक हीं व्यक्ति को अनुदान की राशि देय है, चाहे जमीन का मालिक हो या खेतिहर।** इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा दिया जायेगा, कि उनके द्वारा जाँच कर लिया गया है।

3.4.1 **"स्वयं भूधारी"** की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, **रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति** से प्रभावित रकवा की प्रविष्ट करेंगे।

3.4.2 **"वास्तविक खेतिहर"** किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, **रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं**

असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति से प्रभावित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों का नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षर सहित सत्यापित दस्तावेज अपलोड करेंगे।

3.4.3 **''स्वयं भूधारी'' + वास्तविक खेतिहर''** किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, **रबी/गरमा 2024–25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसल क्षति से** प्रभावित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों का नाम और साथ–ही–साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

3.4.4 वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें ''वास्तविक खेतिहर'' के रूप में प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की व्यवस्था होगी।

3.4.5 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

3.5 किसान द्वारा दिये गए कुल प्रभावित रकवा के सत्यापन के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा।

3.6 अनिवार्य जानकारी की प्रविष्टि करने के पश्चात किसान, आवेदन प्रपत्र में दिए गए CAPTCHA डालेंगे एवं GET OTP पर क्लिक करेंगे। किसान के द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल संख्या पर OTP भेजा जायेगा। बिना OTP के आवेदन अमान्य होगा एवं किसान द्वारा सही OTP डालने पर किसान के प्रकार के अनुसार जमीन का दस्तावेज (रसीद/जमाबंदी /LPC) संलग्न(upload) करना अनिवार्य होगा। किसान द्वारा जमीन का दस्तावेज सफलतापूर्वक संलग्न(upload) करने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही किसान को SMS के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल संख्या पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः कृषि समन्वयक के लॉगिन में सत्यापन के लिए अग्रसारित हो जायेगा।

3.6.1 इस योजना के अन्तर्गत रैयत किसान/किसान परिवार के लिए अद्यतन अथवा वर्ष, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का LPC/लगान रसीद एवं गैर–रैयत किसान परिवार के लिए प्रमाण पत्र, जो जनप्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच) एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित हो, मान्य होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप डी० बी० टी० पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

3.7 DBT Agriculture पोर्टल को किसी भी तरह से Bypass करने का प्रयत्न या कोई भी छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। इसपर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3.8 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल तथा 1 हेक्टेयर = 247 डिसमिल) ।**

3.9 किसान **https://dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.10 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.11 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

4. आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

4.1 किसान द्वारा आवेदन सबमिट करने के तत्पश्चात आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक के द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन **''डी० बी० टी० पोर्टल के** माध्यम से किया जायेगा। कृषि समन्वयक 03 से 05 दिनों के अंदर आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या सुधार कर अपनी अनुशंसा के साथ अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। सत्यापन के समय कृषि समन्वयक द्वारा प्रभावित प्लॉट (सर्वे नम्बर) पर आवेदक का GPS आधारित छायाचित्र लेकर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जायेगा।

Login Id एवं Passowrd से सम्बन्धित निदेश :-

- लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड की सुरक्षा कृषि समन्वयक को सुनिश्चित करना है।
- कृषि समन्वयक के द्वारा लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।
- किसान सलाहकार को लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड नहीं दिया जाएगा।
- जिला कृषि पदाधिकारी केवल कृषि इनपुट अनुदान कार्य का सत्यापन ए० टी० एम०/बी० टी० एम०/बी० एच० ओ० से करा सकते हैं।
- जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पंचायतवार प्रतिवेदित रकबा एवं उससे संबंधित अधियाचित राशि से अधिक अनुदान की राशि का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं हो।

कृषि समन्वयक के द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थल जाँच कर स्वयं संतुष्ट होकर आवेदन के निष्पादन (स्वीकृति/अस्वीकृति) करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(i) आवेदक का नाम एवं कृषक का प्रकार सही है।

(ii) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि एवं क्षति का रकवा सही है।

(iii) **आवेदक द्वारा वास्तव में फसल लगाई गयी थी और रबी/गरमा 2024-25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात से हुई फसलों की 33% से ज्यादा क्षति हुई है। यह भी संतुष्ट हो लें कि क्षतिग्रस्त फसल पुनर्जीवित नहीं हो सकती। यह क्षति ''रबी/गरमा 2024-25 में 09, 10 एवं 14 अप्रैल 2025 को आँधी, ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षापात के कारण ही हुई है।''**

(iv) वास्तविक खेती करने वाले जोतेदार को ही लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। इस हेतु संबंधित खेत के चौहद्दीदारों से पूछताछ करें।

(v) किसान वास्तविक खेतिहर होने संबंधी सत्यापन विहित प्रपत्र में कृषि समन्वयक एवं वार्ड सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से निर्गत करने की व्यवस्था कृषि समन्वयक सुनिश्चित करेंगे।

4.1.1 भूमि से संबंधित कागजात (रैयत के मामले में)।

4.1.2 यह संतुष्ट हो लें कि भूमि के मालिक या वास्तविक खेतिहर दोनों में से किसी एक ने हीं आवेदन किया है।

4.1.3 पति-पत्नी एवं उनके पुत्र/पुत्री जो एक साथ रहते हों, को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि/फसल के लिए आवेदन नहीं दिया गया हो।

4.2 कृषि समन्वयकों द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

4.3 **कृषि समन्वयकों द्वारा आवेदन में दर्ज दावा की जाँच कर सही पाये जाने पर 03 से 05 दिनों के अंदर अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदनों का सत्यापन नहीं करने वाले कृषि समन्वयकों के विरूद्ध समीक्षा कर जिला कृषि पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।**

4.4 **कृषि समन्वयकों से अग्रसारित आवेदनों की सत्यता की जाँच कर कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी द्वारा 02 से 04 दिनों के अन्दर जिला कृषि पदाधिकारी को करना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित अवधि में दावों की जाँच कर अग्रसारण नहीं करने की स्थिति में अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।**

4.5 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 02 से 04 कार्यदिवस के अंदर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी, द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य को करेंगे। अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य अपने स्तर से आवश्यक जाँचोपरान्त 02 से 03 दिनों के अन्दर स्वीकृत आवेदन को भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित करेंगे।

4.6 **जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 02 से 04 कार्यदिवस के अंदर आवेदन सत्यापित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा दायित्व निर्वहन में शिथिलता हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।**

4.7 अपर समाहर्ता, सहाय्य/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी पदाधिकारी, सहाय्य द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

4.8 **त्रुटिपूर्ण भुगतान अथवा दोहरा भुगतान के मामले पाए जाने पर वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाएगी।**

4.9 **बैंक को आवेदन भेजने के उपरान्त किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाता में राशि अंतरित की जाएगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को प्राप्त होगी।**

4.10 अनुदान हेतु पंजीकृत वैसे किसानों का आवेदन जिनका कृषि योग्य भूमि दो जिला में अवस्थित है की स्थिति में जिस पंचायत/नगर क्षेत्र में किसान को पंजीकृत किया गया है उसी पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे जिला/प्रखंड/नगर क्षेत्र/पंचायत में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जायेगा।

4.11 स्थल जाँच के क्रम में किसानों को फसल कटनी के बाद पुआल को खेत में न जलाने हेतु प्रेरित करेंगे एवं इससे होने वाले नुकसान की जानकारी किसानों को देकर जागरूक कराया जायेगा। किसी भी किसान के द्वारा अपने खेत में पुआल जलाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे किसान कृषि इनपुट अनुदान के तहत लाभ देने वंचित रखें यानि ऐसे किसान के आवेदन को स्पष्ट कारण बताते हुये अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।

5. अनुश्रवण :

5.1 योजना का अनुश्रवण सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

5.1.1 संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 7% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.2 प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.3 संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.4 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.5 संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा न्यूनतम 3% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.6 संबंधित जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.7 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 5% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.8 संबंधित संयुक्त निदेशक(शष्य) प्रमंडल द्वारा प्रत्येक जिले का 0.2% मामलों की जाँच की जायेगी।

5.1.9 योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक(सांख्यिकी) तथा तकनीकी कार्यान्वयन हेतु प्रभारी पदाधिकारी DBT कोषांग नोडल पदाधिकारी होंगे।

5.1.10 कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा मुख्यालय स्तर से योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

किसान भाईयों/बहनों से अनुरोध है कि सरकार की इस महत्त्वाकाँक्षी योजना का लाभ उठायें